ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा): (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसे मुख्य रोजगार कार्यक्रम हैं, जिन्हें उत्तर पूर्वी राज्यों एवं राजस्थान राज्य के आदिवासी इलाकों सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए 1994 में सचिवों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया था कि बैंक रहित विकास खंडों में ऋण को सबसिडी से अलग किया जाए क्योंकि लाभार्थियों एवं समुदाय द्वारा समान अंश में योगदान किया गया था। उत्तर पूर्वी राज्यों की विशेष समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, उत्तर पूर्वी राज्यों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां एक ही किस्त में रिलीज की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में, उत्तर पूर्वी राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास संबंधी आबंटन को कुल आबंटन के 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

1835. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला-वार उन गांवों/उप-गांवों के नाम क्या हैं, जिनके इस वर्ष विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृति दी गई है और जिला-वार किन-किन गांवों/उपगांवों में यह कार्य चल रहा है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम "सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम" के तहत ब्लाक-वार कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) हिमाचल प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार जितने भी गांव विद्युतीकरण की दृष्टि से व्यावहारिक थे, सबको पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है। जहां तक उप-गांवों (हेमलेट) का संबंध है, वर्ष 1996-97 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजलीबोर्ड (एच०पी०एस०बी०) ने बताया कि अप्रैल-जून 1996 की अवधि के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित स्कीम के अंतर्गत 34 हेमलेटों का विद्युतीकरण किया गया। इन हेमलेटों का जिलेवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (*नीचे देखिए*)

(ख) मानदंडों के अनुरूप खण्ड-वार प्रणाली सुधार किए जाने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास हिमाचल प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) भाग (ख) में दिए गए उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान जून, 96 तक विद्युतीकृत किए गए हेमलेट:

क्र० सं०	हेमलेट का नाम	जिला
1.	कुकरी	कुल्लु
2.	लमसाई	सोलन
3.	शोगी	"
4.	सुराब बैरंक	"
5.	मंधाई	"
6.	दोची शीशी	"
7.	दोची बट्टू	"
8.	चैहम	"
9.	कुआली	"
10.	मदहर	शिमला
11.	कयात्ती	"
12.	थारू	"
13.	कंगरंग	किन्नौर
14.	रवाई	"
15.	दहाया	"
16.	टंगलिंग	"
17.	कलिंगंग	"
18.	हुरी	"
19.	नमपो	"

क्र० सं०	हेमलेट का नाम	जिला
20.	थैच	"
21.	निप्पा गार्डन	"
22.	चरकांग	"
23.	अशोंग	"
24.	पट्टा	"
25.	चामराह	"
26.	धरमरी	चम्बा
27.	अपर लारू	"
28.	लोअर पजेजा	"
29.	चाली	"
30.	धरतो	"
31.	झाकी	"
32.	पलेप्रही	"
33.	चुरेगल	"
34.	डग	"

Utilization of Funds Under MP's Local Area Development Scheme

1836. SHRI GOVINDRAO AD1K: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be leased to state:

(a) the number of MP's belonging to Rajya Sabha and the Tenth Lok Sabha, separately, who have utilized the amount of Rs. 1 crore for undertaking develop ment activities in their respective con stituencies;

(b) the number of MPs cut of the above who have not utilised this amount at all for undertaking developmental activities in their respective constituencies;

(c) the total amount lying unused in the coffers after expiry of the Tenth Lok Sabha;

(d) whether government would monitor the scheme to ascertain if it has served the purpose for which it was sanctioned; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) As per the information received from majority of the Collectors, Rs. 775.88 crores are reported to have been spent. A total of Rs. 1572.80 crores has been released so far. Of the funds released so far there is no expenditure in respect of 20 Members of Parliament of Rajya Sabha and 15 Members of Parliament of the Xth Lok Sabha. Thus an amount of Rs. 796.92 crores is lying with the District Collectors in different Districts.

(d) and (e) The monitoring of the scheme is a continuous process. It is the endeavour of the Government to see that the scheme serves its intended purpose. A variety of works has been taken up under the scheme like buildings for educational institutions, provision of drinking water, construction of village roads, small bridges, common shelter for old and handicapped, building for cultural and sports activities, public libraries and public toilets etc., which serve the felt needs of the local people.

In certain institutions, Electronic projects have also been taken up.

Power from the Central Sector Power Stations to Rajasthan

1837. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Rajasthan continues to get lesser power allocation from the Central Sector Power Stations and therefor de-manding/stressing need for review of the present formula of power allocation at various forums and even at the recent power Ministers Conference of various States;

(b) if so, whether the Central Government propose to need the demand of Rajasthan by giving weightage to the population of the State; deviation of per capita availability of energy of the State